

अंचल अधिकारी निरसा का कार्यालय  
अभिलेख वाद संख्या-804/2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच  
एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016  
सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष दफ्तर, राजस्व एवं भूमि  
सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985  
एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित  
निदेश के अनुपालन में गैरगजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच  
प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया  
गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-धनबाद थाना-निरसा खाता संख्या-91 प्लॉट संख्या-  
966 रकबा-02 कठ्ठा एकड़ की भूमि जो गैरगजरूआ खास, अनाबाद विहार  
(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उरा मौजा के पंजी-11  
के जिल्द संख्या-5 के पृष्ठ संख्या-1310 पर जमाबंदी रयत श्री श्री 2/91  
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की  
भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत  
होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के  
आधार पर/ अवैध कोदकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार  
पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं  
राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की  
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम  
1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से  
संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छ करें,  
कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार  
अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया  
जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपस्थापित करें।

स्थापित एवं संशोधित  
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी  
निरसा, धनबाद

24/11/20

अभिलेख उपस्थापित।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक-18/12/20 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
निरसा।

18/12/20

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म M, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर संबंधित भूमि का हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक-28/12/20 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
निरसा।

28/12/20

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 एवं विभागीय संकल्प सं0-6144/रा0, दिनांक-21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी नियमितीकरण/रद्द

करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर  
जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-.....01.14.12.31.12.....  
मौजा नं०-254., खाता सं०-91....., प्लॉट सं०-766., रकबा-2.42  
गत् सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। उपरोक्त भूमि शहरी  
क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस-पास  
150 मीटर के अन्तर्गत आता है तथा राजपथ/उच्चपथ/मुखमार्ग के 150-150  
मीटर के अन्तर्गत पड़ता है। फलतः उक्त भूमि का जमाबंदी नियमितीकरण नहीं  
की जा सकती है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा  
अवैध जमाबंदीदार रैयत श्रीमती- 2291 देवी के नाम से पंजी-II में  
कायम जमाबंदी संख्या-131D को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा  
के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के  
तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-131D को रद्द करने हेतु अनुशंसा  
के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर  
समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

  
अंचल अधिकारी,  
निरसा।